क्रम-संख्या–184 (घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 सितम्बर, 2020

आश्विन 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

———

संख्या 1039/ग्यारह-2–20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1–2017-आदेश(145)-2020

लखनऊ, 23 सितम्बर, 2020

———

अधिसूचना

प0आ0–261

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना संख्या क0नि0-2-177/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1–2017-आदेश(03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"परन्तु यह भी कि उस वर्ग के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो उपरोक्त परन्तुक की तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लिखित हैं और जो उक्त तालिका के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त तालिका के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्त के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं किन्तु उक्त विवरणी 30 सितम्बर, 2020 तक प्रस्तुत करते हैं, के लिये उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की कुल धनराशि अधित्यक्त हुई मानी जायेगी जो दो सौ पचास रुपये से अधिक हो और उन करदाताओं के लिये पूर्णतः अधित्यक्त हुई मानी जायेगी जहाँ कुल संदेय राज्य कर की धनराशि शून्य हो :

परन्तु यह भी कि उन करदाताओं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो, और जो नियत तारीख तक माह मई, 2020 से जुलाई, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटी आर–3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, किन्तु उक्त विवरणी, 30 सितम्बर, 2020 तक प्रस्तुत करते हैं, के लिये उक्त

अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब फीस की कुल धनराशि अधित्यक्त हुई मानी जायेगी जो दो सौ पचास रुपये से अधिक हो और उन करदाताओं के लिए पूर्णतः अधित्यक्त हुई मानी जायेगी, जहाँ उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल धनराशि शून्य हो।"

2–यह अधिसूचना तारीख 25 जून, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1039/XI-2–20-9(47)-17-U.P. Act-1–2017-Order(145)-2020, dated September 23, 2020 :

No. 1039/XI-2–20-9(47)-17-U.P. Act-1–2017-Order(145)-2020

Dated Lucknow, September 23, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), *read* with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification no. KA. NI.-2–177/XI-9(47)-17-U.P. Act-1–2017-Order(03)-2019, dated January 22, 2019, namely :–

In the said notification, *after* the third proviso, the following provisos shall be *inserted*, namely :–

"Provided also that for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table of the above proviso, who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column (3) of the said Table, according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, but furnishes the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil:

Provided also that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year, who fail to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of May, 2020 to July, 2020, by the due date but furnish the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil."

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 25th day of June, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 317 राजपत्र–2020–(768)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 46 सा0 राज्य कर–2020–(769)–3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।